<u>राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।</u>

<u>S.B. Civil First Appeal No.266/2008</u>

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी</u>

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एन के मालू।
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता श्री एम एम रंजन की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत शर्मा।

<u>:: आदेश ::</u> **31.7.2018**

अपीलार्थी सं. 1 महन्त कैलाश चंद की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप उसके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लिये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 35454/18 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यात्मक स्थिति, अपीलार्थी सं. 1 की मृत्यु की दिनांक एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र समयावधि में प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार कर मृतक अपीलार्थी सं. 1 के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लिया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करे।

पत्रावली दो सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

एम शर्मा/26